फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – कोतवाली मोहम्मदाबाद

दिनांक :- 25.01.2024

कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस द्वारा मु0अं0सं0 303/2023 धारा 363/366/120B भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र सिंह के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व श्रीमान क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद श्री अरुण कुमार के कुशल नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस द्वारा मु0अं0सं0 303/2023 धारा 363/366/120B भादवि में वांछित अभियुक्त अश्वनी यादव को दिनांक 25.01.2024 को गिरफ्तार किया गया।

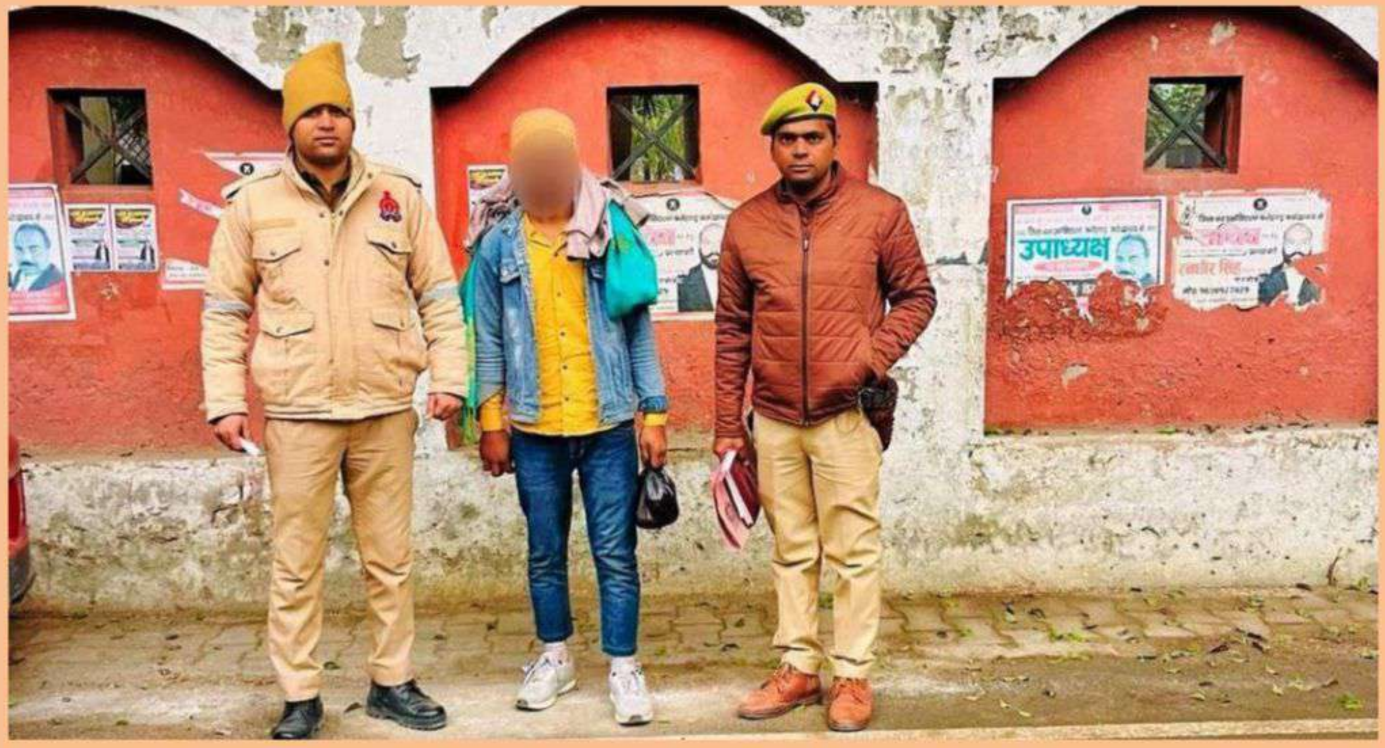

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अश्वनी यादव पुत्र अवधेश यादव निवासी ग्राम नगला उम्मेद थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़ ।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 30.12.2023 को वादी द्वारा कोतवाली मोहम्मदाबाद पर उसकी 17 वर्षीय पुत्री को शादी के उद्देश्य से बहला फुसलाकर भगा ले जाने के संबन्ध मे लिखित तहरीर दी गयी। उक्त तहरीर के आधार पर कोतवाली मोहम्मदाबाद पर मु0अं0सं0 303/2023 धारा 363/366/120B भादवि बनाम 1.अश्वनी यादव पुत्र अवधेश यादव निवासी नगला उम्मेद थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़ 2. छोटू यादव पुत्र जनवेश निवासी ग्राम जवाहरनगर रोहिला कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त मे वांछित अभियुक्त अश्वनी यादव को दिनांक 25.01.2024 को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:- निल ।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त अश्वनी यादव ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं वादी की पुत्री को करीब 01 वर्ष जानता हूं। हम दोनो एक दूसरे से प्यार करते है तथा एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, इसलिए दिनांक 29.12.2023 को वादी की पुत्री को साथ लेकर मथुरा चला गया था।

अभियुक्त अश्वनी यादव उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 303/2023 धारा 363/366/120बी भादवि कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ ।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 सूर्यप्रकाश उपाध्याय
2. का0 योगेश कुमार
3. का0 अंकुल कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़

फतेहगढ़ पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना शमसाबाद | **दि0-25.01.2024**

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्ता डेजी गंगवार पत्नी स्व0 अशोक निवासी सहसा जगदीशपुर थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़ मु0अ0सं0-446/2004 वाद सं-14/2005 धारा- 302/34 भा0द0वि0 थाना शमसाबाद में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्ता उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहर्रिर द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **दिनांक 25.01.2024 को मा0 न्यायालय ए0डी0जे0 8 कोर्ट फर्रूखाबाद द्वारा अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।**

एडीजीसी श्री अभिषेक सक्सेना

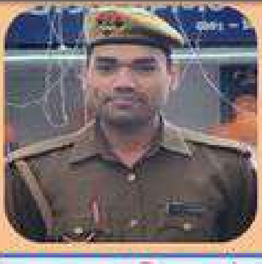

पैरोकार का0 अविनाश तोमर

GPS Map Camera
Google
Ismail Pur, Uttar Pradesh, India
J587+VP SMPAVA Agriculture Farm, Ismail Pur, Uttar Pradesh 207244, India
Lat 27.615283°
Long 79.164114°
25/01/24 04:43 PM GMT +05:30